

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 233

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों का विस्तार

233. श्री नारायण तातू राणे:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री चंदन चौहान:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री प्रवीण पटेल:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री दिलीप शङ्कीया:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री राजकुमार चाहर:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2029 तक प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस) का गठन सुनिश्चित करने का विचार है और वह इस दिशा में कार्य कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएसीएस के साथ अब तक एकीकृत विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त एकीकरण से पीएसीएस की वित्तीय स्थिरता और ग्रामीण समुदायों के लिए उनकी प्रासंगिकता किस प्रकार बढ़ी है;

(ग) क्या सरकार का जमीनी स्तर पर इन पहलों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करने का विचार है और क्या विशेषकर महाराष्ट्र राज्य और पालघर जिले में इसके लिए योजनाएं तैयार की गई हैं;

(घ) क्या पीएसीएस को सहकार से समृद्धि/डिजिटल सहकारी समिति/राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया है;

(ङ) क्या सरकार इस दिशा में मानकीकृत सॉफ्टवेयर / ईआरपी प्रणाली/एआई-आधारित निगरानी तंत्र विकसित कर रही है ताकि पीएसीएस का संचालन पेशेवर तरीके से किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास सहकारी क्षेत्र में युवा उद्यमियों/महिला स्वयं सहायता समूहों/एफपीओ को पीएसीएस से जोड़ने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): जी हां, मान्यवर । सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुँच बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान की है । योजना के अंतर्गत, पाँच वर्षों में देश में सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने हेतु डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY), आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण से तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य सरकारों के सहयोग से नयी बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करना शामिल है।

(ख) से (घ): पैक्स को बहुउद्देशीय आर्थिक संस्थाएं बनाने हेतु उनके आर्थिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए मंत्रालय द्वारा आदर्श उपविधियां तैयार की गई हैं, जिसके द्वारा पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना; खाद्यान्न, उर्वरक, बीज की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रिब्यूटरशिप, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें (FPS), सामुदायिक सिंचाई, कॉमन सेवा केंद्र, आदि सहित 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम बनाया गया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण पहल भी की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कंप्यूटरीकरण द्वारा पैक्स का सशक्तीकरण:** पैक्स को सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अनुमोदित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 2,925.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है,

जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है। इसका लक्ष्य पैक्स की प्रचालन दक्षता में सुधार लाना, ऋणों का त्वरित संवितरण सुनिश्चित करना, लेन-देन लागतों को घटाना, पारदर्शिता बढ़ाना और पैक्स के कार्यों के प्रति किसानों में विश्वसनीयता बढ़ाना है। अब तक, इस परियोजना के तहत 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कुल 73,492 पैक्स संस्वीकृत किए गए हैं। कुल 59,920 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है और 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर का प्रापण किया जा चुका है।

- **सभी पंचायतों को कवर करते हुए नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना:** भारत सरकार ने पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों और गांवों को आच्छादित करने के लक्ष्य से नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को अनुमोदित किया है। यह पहल नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा समर्थित है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, दिनांक 15.02.2023 को इस योजना के अनुमोदन के पश्चात् अब तक (30.06.2025 तक) देश में कुल 22,606 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा चुका है।
- **सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (PMFME), आदि सहित भारत सरकार (GoI) की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य कृषि-अवसंरचनाओं को बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना की पायलट परियोजना के अंतर्गत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
- **कॉमन सेवा केंद्र (CSCs) के रूप में पैक्स** ग्रामीण जनता को बैंकिंग, बीमा, बिजली बिल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यरत है। अब तक 47,918 पैक्स ने CSC के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है।
- **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स** किसानों को एक ही स्थान पर उर्वरक, कीटनाशक और अन्य विभिन्न कृषि निविष्टियां उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक 36,592 पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में अपग्रेड किया जा चुका है।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के रूप में पैक्स** ग्रामीण नागरिकों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। अब तक, 762 पैक्स को PMBI से स्टोर कोड प्राप्त हो चुके हैं और वे PMBJK के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।
- **पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पात्र बनाना:** सरकार ने खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन के लिए पैक्स को संयुक्त श्रेणी 2 (CC2) में शामिल करने की अनुमति दे दी है।

- **पैक्स के थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु अनुमति:** मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को तेल विपणन कंपनियों(OMCs) द्वारा खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए वन-टाइम विकल्प दिया गया है। OMCs द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 5 राज्यों के 117 थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप लाइसेंस धारी पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की सहमति दे दी है जिसमें से 59 पैक्स को इस संबंध में OMCs द्वारा कमिशन गया है ।
- **पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता:** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी है । इससे पैक्स को अपनी आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने और अपनी आय प्रवाह में विविधीकरण करने का एक विकल्प प्राप्त होगा।
- **पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) करने के लिए पात्र बनाया गया है ।** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायत/ गांव के स्तर पर प्रचालन व रख-रखाव (O&M) सेवाएं प्रदान करने हेतु 539 पैक्स चिह्नित/ चयनित किए गए हैं ।
- **पैक्स के स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल करा सकते हैं ।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की **प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना** का सहकारी समितियों के स्तर पर अभिसरण किया जा रहा है ।
- **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन:** भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा NCDC को आवंटित 1,100 FPO के अतिरिक्त लक्ष्य के सापेक्ष में NCDC ने पैक्स के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में 1,117 एफपीओ पंजीकृत किये जा चुके हैं। इससे सामान्यतः सहकारी क्षेत्र और विशेषकर पैक्स को अपने सदस्यों के लिए राजस्व के वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न करने में मदद मिलती है, जिससे वे स्वयं को व्यवहार्य, गतिशील और वित्तीय रूप से सशक्त आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तित करने में सक्षम हैं।

इन पहलों को पैक्स के स्तर पर अभिसरित की जा रही भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अनुमोदित परिष्यय का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले सहित देश भर में पैक्स द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के कुशल कार्यान्वयन हेतु संबंधित एजेंसियों द्वारा उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

(ड): पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना में सभी कार्यात्मक पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है, जिसका उद्देश्य पैक्स के कामकाज में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाना है ताकि पैक्स के संचालन को प्रोफेशनल किया जा सके।

(च): सहकारिता क्षेत्र में युवा उद्यमियों/महिला स्वयं सहायता समूहों/एफपीओ को प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

- **युवा सहकार:** इस योजना का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल करते हुए स्टार्ट-अप को सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य नए और/या नवोन्मेषी विचारों वाली नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना भी है और कम से कम तीन महीने से कार्यरत सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है।
- **नंदिनी सहकार:** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता को समर्थन प्रदान करना है।
- **स्वयंशक्ति सहकार योजना:** इस योजना की शुरुआत कृषि ऋण सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि वे महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को कार्यशील पूंजी ऋण या सावधि ऋण प्रदान कर सकें। इसका उद्देश्य गरीबों, महिला SHGs को सस्ती, प्रभावी और विश्वसनीय वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उन्हें पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे वे सामूहिक/साझा सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को संचालित कर सकें और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा मिल सके।
